

2025/810




फर्द अहकाम

(नियम 15)

यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
रणजीत बनाम उमाशंकर आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 548 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
09.10.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।	
14.10.2025	वकील वादी ने आवेदन - पत्र निकाल चेकी पेश करने पर प्रभावली को चेकी में लिखा गया बुकलार फरिस्टेन उपदिखत। वादी बुकली नगी 100 एर उने हाजिर अदाबत आकर राकीनामा पेश किया जिसे बाद तस्वीर दाखिल करके लिखा गया। प्रभावली वाले स्टेट जवाब अर्क-क तारीख 17.10.2025 को पेश हो।	9674 रणजीत उमाशंकर  राणादी रामपाल उमिनी र. 1 म 3 म पुस्तक दिनेश कुमार मि अर
17.10.2025	बुकलार फरिस्टेन उपदिखत। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ कदम सुनी गयी। प्रभावली का अवलोकन किया गया। प्रभावली के उपबन्ध रिपोर्ट व वादी बुकली से राकीनामा से आधार पर वाद वरी-डिस्टी डिपा लागू है। सभी त्रिकरण दाखिल निचरि अलग से लिखाया जाकर दाखिल करके डिपा लखे। प्रभावली नम्बर से कस की जाकर बाद तस्वीर तस्वीर दाखिल करके है।	 

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर